Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Revision No.- 44/2020

Sahera Khatoon ..... Appellant.

Versus

The State of Bihar & Ors ..... Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	19.07.2023	**आदेश** प्रस्तुत आँगनबाड़ी अपील जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा आँगनबाड़ी अपील वाद सं0–01/2019–20 में दिनांक 09.06.2020 को पारित एवं ज्ञापांक–495 दिनांक 13.06.2020 द्वारा संसूचित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंब क्षांत हेतु पृथक आवेदन दाखिल है। आवेदिका का समयावेदन तथा विपक्षी की उपस्थिति है। विपक्षी को सुना। आवेदिका द्वारा दायर पुनरीक्षण ज्ञाप का अवलोकन किया। इनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जिला–किशनगंज, परियोजना–पोठिया, वार्ड सं0–14, पंचायत–छत्तरगाछ अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में आवेदिका एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा सेविका पद हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। चयन समिति के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दिनांक–13.07.2019 को उपाध्यक्ष की उपस्थिति में आमसभा आयोजित करते हुए सर्वसम्मति से आवेदिका का सेविका पद पर चयन करते हुए चयन पत्र निर्गत किया गया। चयन पश्चात् भिन्न–भिन्न प्रशिक्षण प्राप्त कर केन्द्र सं0–135 का निष्ठापूर्वक संचालन करती रही। उक्त चयन के विरूद्ध विपक्षी सं0–6 नासेरा खातुन द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज के समक्ष परिवाद समर्पित करते हुए मेधा सूची के दूसरे क्रमांक की अभ्यर्थी साहेरा खातुन का चयन जामिया उर्दू, अलीगढ़ से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर किया गया है जो मान्य संस्था नहीं है। साथ ही आवेदिका एवं उनके प्रथम संतान के बीच मात्र 15–16 वर्ष के उम्र का अंतर है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए आनन–फानन में इनके चयन को रद्द कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। इनका दावा है कि जामिया उर्दू, अलीगढ़ द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र वैध है, जिसका भौतिक सत्यापन भी हो चुका है। उक्त संस्था को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ पीठ द्वारा विविध वाद सं0–7102/2013 में पारित आदेश एवं अन्य न्यायादेशों	

Web Copy Not Official.

		से भी होती है। निम्न न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए आदेश पारित किया गया है। विपक्षी द्वारा आमसभा में इस प्रकार की कोई आपत्ति हीं उठाई गई थी। दिनांक–27.05.2019 को निर्गत मार्गदर्शिका की कंडिका–11 के क्रमशः	
	लगातार 19.07.2023	अनुसार विपक्षी को सर्वप्रथम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, पोठिया के समक्ष परिवाद पत्र समर्पित किया जाना चाहिए था। जबकि ऐसा नहीं किया गया। प्रावधान के विपरीत जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कोचाधामन, किशनगंज से सूचना के अधिकार अंतर्गत उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार जामिया उर्दू, अलीगढ़ से निर्गत शैक्षणिक प्रमाण–पत्र के आधार पर कई व्यक्ति सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जिससे स्पष्ट है कि बिहार सरकार द्वारा उक्त जामिया उर्दू, अलीगढ़ से निर्गत प्रमाण–पत्र की मान्यता दी गई है। आवेदिका एकमात्र योग्य अभ्यर्थी है। निम्न न्यायालय आदेश न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार इनकी ओर से पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ विपक्षी सं0–6 के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक–27.03.23 को अगली तिथि 24.04.23 तक प्रत्युत्तर दाखिल करने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी उनकी ओर से कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया गया है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज ने दो पत्रांक 253 दिनांक–08.02.2022 तथा पत्रांक 279 दिनांक–24.02.23 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो परस्पर विरोधाभाषी है। इन्होंने पत्रांक 279 दिनांक–24.02.23 द्वारा संसूचित किया है कि पूर्व में पत्रांक 998 दिनांक–15.12.2020 द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया जा चुका है। उक्त पत्र में इन्होंने कहा है कि Writ Petition No.-7102(M/S)/2013 मो0 नसीम बनाम राज्य सरकार (उत्तरप्रदेश) वगैरह में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–16.12.2013 को उत्तरप्रदेश बुनियादी शिक्षा अध्यापक सेवा नियमादि–1981 की शर्त्तों में संशोधन किया गया था, जिसमें अदीब, मुंशी, फाजिल एवं मौलवी (मैट्रिक समकक्ष) की डिग्रियों को हाई स्कूल के समकक्ष नहीं माना गया था। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उक्त संशोधन आदेश 2013 रद्द करते हुए यह निर्णय दिया गया कि ''जब अदीब, मुंशी, फाजिल एवं मौलवी की डिग्रियों U.G.C. एवं राज्य सरकार दोनों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से निर्गत किया गया है तो उक्त डिग्रियों की मान्यता नहीं दिया जाना नियमानुकूल नहीं है। तद्नुसार उक्त संशोधन आदेश को रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश में जामिया उर्दू, अलीगढ़ के Legal Status/Recognitation पर कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है क्योंकि यह वाद का विषय नहीं था। CWJC No.-23782/2012 अली इमाम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य वगैरह में दिनांक–18.06.18 को पारित आदेश के आलोक में Director, Primary Education, Patna के आदेश सं0–1264 दिनांक 25.09.18 द्वारा जामिया उर्दू, अलीगढ़ को अमान्य	

Web Copy Not Official.

		घोषित किया गया है। उक्त के आलोक में आवेदिका साहेरा खातुन के चयन को रद्द किया गया है जो न्यायोचित है। पक्षकारों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि आवेदिका के शैक्षणिक प्रमाण–पत्र जो जामिया उर्दू, अलीगढ़ से निर्गत है वह एक मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि CWJC No.-23782/2012 (अली इमाम एवं अन्य बनाम बिहार राज्य वगैरह) क्रमशः	
	<u>लगातार</u> 19.07.2023	में दिनांक–18.06.2018 को पारित आदेश के आलोक में Director, Primary Education, Patna के आदेश सं0–1264 दिनांक 25.09.2018 द्वारा उक्त संस्थान को अमान्य घोषित किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा मामले की विस्तृत एवं सम्यक् विवेचना करते हुए विधिसम्मत् एवं न्यायोचित आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः निम्न न्यायालय आदेश को संपुष्ट करते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	

Web Copy. Not Official.

Web Copy. Not Official.